North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

IRJIF IMPACT FACTOR:6.019

ISSN: 2454-2326 Vol. 7, Issue-7 July -2021

Index Copernicus Value: 58.12 DOI NUMBER: 10.5948/2454-2326.2020.00008.0 Thomson Reuters ID: S-8304-2016

A Peer Reviewed Refereed Journal

भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना मनरेगा और पलायन

डॉ0 अरविन्द कुमार राजपूत

असि0 प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झॉसी) उ0प्र0

जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आंकलित की गई है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों मं निवास करती है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई जिसमें ग्रामीण एवं शहरी आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था। 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 74 एवं 26 प्रतिशत हो गया। इन आंकड़ों के देखने पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन तेजी बढ़ रहा है।

गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी–रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों–कस्बों की ओर मुंह करना पड़ां। गावों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार और शिक्षा के साथ–साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाऐं शहरों की तुलना में बेहद कम है। इन बुनियादी कमियों के साथ–साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रूख कर लेते है। ऐसा नहीं है कि

सरकार ने इन कारणों और परिस्थितियों को दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं किए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना पलायन कहलाता है लेकिन यह पलायन की प्रवृत्ति कई रूपों मं देखी जा सकती है जैसे एक गांव से दूसरे गांव में गांव से नगर एवं नगर से नगर और नगर से गांव परन्तु भारत में गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागमभाग की जिन्दगी उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते है। शहरों में अच्छे परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं ने भी गांव के युवकों, महिलाओं को आकर्षित किया है। वही गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है।

ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने और उन्हे गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और मूखमारी हटाना है ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी अन्तर कम करने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ करना जरूरी है इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई। गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए पूर्व में अनेक प्रावधान किए है। सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में ही शहरों जैसी आधारभूत सुविधाऐं मिले। 2 फरवरी, 2006 को देश की 200 जिलों में ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना'' के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सुदृढ हुई है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि ग्रामीणों का पलायन रूका है लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है।

भारत में गांवों से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा है जहां गांव में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परम्परा पर आधारित सामाजिक रूढिया, अनुपयोगी होती भूमि, वर्षो का अभाव एवं प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि कारणों ने न सिर्फ

लोगों को बाहर भेजने की प्ररेणा दी वही शहरों ने अपनी चकाचौंध सुविधाऐं युवाओं के सपने रोजगार के अवसर आर्थिक विषमता, निश्चित और अनवरत अवसरों में आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार पुरूष और महिलाओं के एक बड़े समूह ने गांव से शहर की ओर पलायन किया है। वर्ष 2001 से 2011 की शहरी जनसंख्या में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।पूर्व राष्ट्रपति एवं मिशाइल मैन डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुलकलाम कहा करते थे कि शहरों को गावों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन पर रोक लगायी जा सकती हैं।

मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
भारत	51.30	52.80	54.86
उ.प्र.	19.70	22.7	24.75
महोबा	29.21	32.56	35.12
जालौन	23.45	25.32	27.40

स्रोत–समीक्षा II–2012–14

द्वितीयक समंको महिलाओं की सहभागिता के सम्बन्ध से प्राप्त ऑकड़े इस मत की पुष्टि करते हैं कि रोजगार गारण्टी योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर एवं चयनित जिलो (महोबा, जालौन) से प्राप्त ऑकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते है। महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा II वर्ष 2012–14 के ऑकड़े तीनों ही स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित करते है।उपर्युक्त तालिका में तीन दिवसीय 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 से प्राप्त ऑकड़े तीनों ही स्तरों राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं चयनित जिलों में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित करते है वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता 51.30 प्रतिशत से बढ़कर

2014–15 में 54.86 प्रतिशत हो गयी है। जबकि राज्य स्तर पर 19.70 से बढ़कर 24.75 प्रतिशत हो गयी। जो कि महिलाओं के संवैधानिक 33 प्रतिशत से बढ़कर 35.12 प्रतिशत हो गयी थी। जबकि जालौन में 23.45 प्रतिशत से बड़कर 27.40 प्रतिशत हो गयी थी। उल्लेखनीय है कि चयनित जिलों में महिलाओं की सहभागिता का प्रदर्शन राज्य स्तर से अधिक था जबकि राष्ट्रीय स्तर से कम था।

श्रम बाजार और महात्मा गांधी नरेगा

ग्रामीण श्रम बाजार पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव सीधे होने की बजाय बहुआयामी है, जिन पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्कयता है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम ने ग्रामीण श्रम भागीदारी की दर को बढ़ाया है। इसने श्रम बल में उन लोगों को भी आकर्षित किया है जो सक्रिय श्रमिक नहीं थे तथा आकर्षक व सुविधाजनक कार्य अवसरों तक उनकी पहुंच को सरल बनाया है। परन्तु यह भी तर्क दिया जाता है कि श्रमिकों की कमी उत्पन्न कर दी है। वे लोग जो पहले से ही ग्रामीण श्रम बाजार में भागीदारी कर रहे थे वे भी महात्मा गांधी नरेगा में काम पाना चाहेगें यदि इसमें मजदूरी और रोजगार की स्थितियां उनके वर्तमान रोजगार से बेहतर हो।बाजार में श्रम की कमी पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव पर उपलब्ध स्रोत और यदि इसमें कोई कमी है तो इस कमी का किसी उत्पादकता पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, का अध्ययन किया गया है इस योजना का पलायन होने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया है। कुल मिलाकर इस दावे की पुष्टि का कोई निर्णायक हल नहीं मिलता कि महात्मा गांधी नरेगा ने कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी को बढ़ाया है या कम किया है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए आरक्षित मजदूरी की स्थापना को ग्रामीण श्रमिकों के लिए इस योजना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव माना जा रहा है। कृषि श्रमिकों पर प्रभाव का शोध अध्ययन संकेत करते है कि कृषि श्रमिकों की कमी के लिए महात्मा गांधी नरेगा अकेला कारण नहीं है। कृषि में श्रम बल की कमी महात्मा गांधी नरेगा से पहले की है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के आँकड़ें दर्शाते है कि योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत काम कृषि के मंदी के मौसम में किए गये है, दूसरी

ओर कुछ अध्ययनों के आँकड़ें बताते है कि महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक बल की संरचना में भी बदलाव आया है, जहाँ अधिक कृषि श्रमिक इस योजना में भागीदारी कर रहें है।

कृषि श्रमिकों की कमी–

कृषि श्रमिकों पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव का शोधकर्ताओं के बीच एक बड़ें विवाद का विषय है। ऐसा माना जाता है कि सरकार द्वारा रोजगार श्रमिकों को काम देने से कृषि में मंदी और तेजी के मौसम में सीधे रूप से श्रमिक आपूर्ति में कमी होगी, क्योंकि इसका प्रभाव मजदूरी और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादकता पर पड़ेगा।

य़द्यपि यह कहना कठिन है कि महात्मा गांधी नरेगा में ये अनियमित श्रमिक वास्तव में कृषि क्षेत्र के श्रमिक है। कृषि श्रम में कमी और उनके खेतों से अलग होने का कारण, महात्मा गांधी नरेगा से बाहर के हो सकते है। असल में 2004–05 के बाद से श्रमिक बल भागीदारी में नकारात्मक रूझान दिखाई दिया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आँकड़ें संकेत करते है कि यह कमी कृषि श्रमिक बल में भी आई है। सर्वेक्षण के अनुसार कृषि श्रमिकों में कमी कुल आर्थिक गतिविधि के हिस्से में राष्ट्रीय स्तर पर 2004 में दिखाई दे रही है। यह रूझान महात्मा गांधी नरेगा से पहले का है। एक अध्ययन में पाया गया कि गैर–कृषि मजदूरी में कृषि श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा की ओर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्नाटक और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश, जैसे सिंचाई, प्रभुत्व वाले राज्यों के सूक्ष्म स्तरीय आंकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी का श्रमिकों की कमी पर प्रभाव कर्नाटक व राजस्थान में ज्यादा प्रभावी है यद्यपि गैर–कृषि मजदूरी में बढ़ोत्तरी से तुलना पर यह प्रभाव बहुत मामूली दिखाई पड़ता है यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों में भी श्रमिकों की आर्थिक कमी में योगदान किया है। पी.डी.एस. और महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी की तुलना में गैर–कृषि मजदूरी में सापेक्षिक वृद्धि से श्रमिकों की उच्च आर्थिक कमी हुई है। दूसरे शब्दों में श्रमिकों को कृषि से विचलन कर अन्य लाभकारी गैर–कृषि मजदूरी की ओर लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में किए गए एक अध्ययन ने इन नतीजों की पुष्टि

की है। ऐसा देखा गया है कि यद्यपि श्रमिकों की कमी है, लेकिन उन्हीं गांवों में गैर–कृषि गतिविधि में समानांतर वृद्धि हुई है। अतः गैर–कृषि कारण, शिक्षा के प्रसार और महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावों को अलग–अलग करना मुश्किल है।

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों में वही परिवार ज्यादा काम करने आते है, जो भूमिहीन कृषक श्रमिक है। जिनके पास रोजगार के विकल्प बहुत कम है तथा वे कृषिगत कार्यों के अतिरिक्त केवल अकुशल श्रमिक कार्य करने में सक्षम है, उनके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना आय का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराकर, आरक्षित मजदूरी दर बढ़ाकर श्रमिकों को मोल–भाव की क्षमता प्रदान कर रही है जहाँ कि ग्रामीण श्रम बाजार असमान है, यह श्रमिकों को सम्मानित पसंद का काम उपलब्ध कराता है।अतः रोजगार गारण्टी योजना इन श्रमिकों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका उपलब्ध कराती थी जो इनको गैर कृषि कार्यों में रोजगार प्रदान कराती है साथ ही साथ उचित या वैधानिक मजदूरी का भुगतान करती है।

मजदूरी दर मनरेगा के पहले और बाद–

महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन होने के पश्चात् विभिन्न शोधों से यह तथ्य उजागर किया कि रोजगार योजना से मजदूरी दर में वृद्धि हुयी है। इस तथ्य की पुष्टि के लिये हमने चयनित विकासखण्डों के सभी ग्राम पंचायतों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण में विशेष रूप से साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य की पुष्टि की।

मजदूरी में अन्तर महात्मा गांधी नरेगा के पहले और बाद

वर्ष	मनरेगा के पहले		मनरेगा के बाद	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
2014-15	100	60	150	130
2015-16	120	80	180	150
2016-17	140	100	200	170

स्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण 2015–16

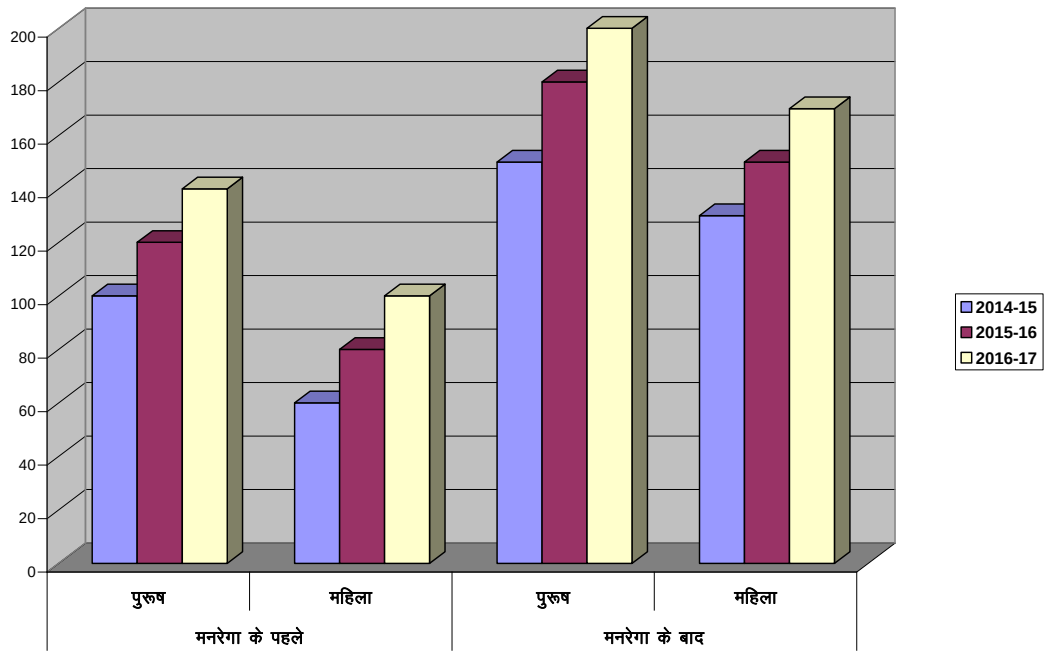

मजदूरी में अन्तर महात्मा गांधी नरेगा के पहले और बाद

पिछले तीन वर्षों 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की मजदूरी दर की तुलना की है। उल्लेखनीय है कि यह मजदूरी दर महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी दर से है। यह मजदूरी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं गैर कृषि कार्य में मिलने वाली मजदूरी दर से है।वर्ष 2014–15 में मजदूरी दर कृषि एवं गैर–कृषि कार्यो में प्रति पुरूष प्रतिदिन सौ रूपयें (100) मजदूरी थी जबकि महिला श्रमिक प्रतिदिन साठ रूपये (60) प्रतिदिन थी। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना लागू होने के पश्चात् रूपये 150 प्रतिदिन हो गयी, तथा महिला मजदूरी 130 रूपयें प्रतिदिन हो गयी। वर्ष 2016–17 में पुरूष श्रमिक प्रतिदिन 140 थी, वह महात्मा गांधी नरेगा के कारण रू. 200 रूपये प्रतिदिन हो गयी।

वर्तमान समय में भारत जनांकिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, भारत की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या समूह 14 से 64 वर्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है। इस कार्यशील जनसंख्या को उचित रोजगार अवसर प्रदान कर उत्पादन और आय को बढ़ाया जा सकता है।

रोजगार गारण्टीयोजना में पलायन पहलू को विशेष महत्व दिया गया है अर्थात विकासवादी समाजशास्त्री तो इसे एण्टी माइग्रेशन प्रोग्राम पलायन के विरूद्ध योजना मानते है। अतः यह उचित प्रतीत होता है। कि महात्मा गांधी नरेगा द्वारा पलायन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत शोध में उत्तरदाताओं से पलायन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया, कुल महिला श्रमिकों 250 में 84.0 प्रतिशत श्रमिकों ने माना कि रोजगार योजना के लागू होने के फलस्वरूप पलायन में कमी आयी है।

क्या योजना के बाद पलायन में कमी आयी है?

	हाँ		नहीं		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मनरेगा में पलायन	210	84.0	40	16.0	250	100.0

स्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण 2015–16

यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि रोजगार गारण्टी योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जो श्रमिक पूर्व में रोजगार की तलाश में पलायन करते थे, अब नही करते है।पलायन में सम्बन्धित जनसंख्या के ऑकड़े प्रदर्शित करते है कि भारत में ज्यादातर पलायन रोजगार की तलाश के लिये किया जाता है। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है, कृषि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती है विभिन्न कृषि एवं कृषि आधारित शोधों में ये उल्लेख किया है कि कृषि में रोजगार की उपलब्धता लगातार प्रतिवर्ष घटती जा रही है, जिसके कारण कृषि में रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 2 फरवरी

सन् 2006 से प्रारम्भ हुआ जिसका प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा सौ दिन का रोजगार अकुशल शारीरिक श्रमिकों को उपलब्ध कराना था जिससे उन्हें रोजगार के लिये पलायन को मजबूर न होना पड़े तथा उन्हें अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करा सके। अतः महात्मा गांधी रोजगार गारंण्टी योजना ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिये सहायक आय उपलब्ध कराने का साधन है।

पलायन कई रूपों में हो सकता है यह राज्य के अन्दर भी हो सकता है और राज्य के बाहर भी हो सकता है। कभी कभी यह पलायन परिवार के साथ होता है, तो कभी बिना परिवार के भी हो सकता है। सामान्यतः यह पाया गया है कि जिले के अन्दर पलायन करने वाले श्रमिक पूरे परिवार के साथ करते है, जबकि अर्न्तराज्यीय प्रवास मुख्यतः अकेले श्रमिक द्वारा होता है।

यदि पलायन किया तो कहॉ–कहा गयी

	संख्या	प्रतिशत
जिले के अन्दर	24	11.43
जिले के बाहर	112	53.33
राज्य के अंदर	74	35.24
कुल	210	100.0

स्रोत– क्षेत्रीय सर्वेक्षण 2015–16

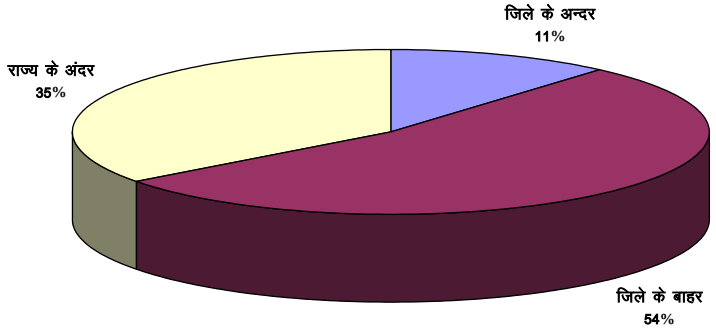

महात्मा गांधी नरेगा के पलायन

प्रस्तुत तालिका में पलायन सम्बन्धी समकों को प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में कुल उत्तरदाताओं 250 में 84.0 प्रतिशत श्रमिक पलायन करते थे। जिसमें से 53.3 प्रतिशत अन्तरराज्यीय पलायन करते है जबकि 35.0 प्रतिशत श्रमिक राज्य के अन्दर ही पलायन करते है। जहाँ तक अन्तर्राज्यीय पलायन का सम्बन्ध है। ये श्रमिक पडोसी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पलायन करते है।

चयनित जिलों में महिला लाभार्थियों का पलायन पर जो निष्कर्ष निकलकर आया वो इस तरह से है कि महात्मा गांधी नरेगा के कारण महिलाओं का पलायन रूका है। पहले महिला अपने पति के साथ ईंट–भट्टों पर काम करने जाती थी या शहर रोजगार की तलाश में जाती थी देवर के साथ काम करने जाती थी लेकिन योजना के बाद जब गांव में ही कार्य मिलने लगा तो महिला का पलायन रूक गया मजदूरी दर में वृद्धि हो गयी पलायन रूक जाने से परिवार टूटने से बच गये या उनमें बहुत कमी आ गयी। उ.प्र. में महिला सहभागिता अन्य राज्यों की तुलना में कम इसलिए है क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पुरूष बेरोजगारी अधिक है इसलिए इनका प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से नही बढ़ा है। महात्मा गांधी नरेगा की चार विशिष्ट परिस्थितियों का श्रमिक माँग, आपूर्ति

और बाजार मजदूरी के आधार पर श्रमिक बाजार की संरचना को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता हैं।

आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनावद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। 73 वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ गई है। पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गो के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गो की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवों ने शहरों जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनों से रोका जा सकता है।

REFERENCES

1 मनरेगा समीक्षा–2012
2 योजना आयोग रिपोर्ट–2013–14
3 ग्रामीण विकास मंत्रालय रिपोट –2013–14
4 इण्डियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी
5 देशाई ए0आर0 भारत का विकास मार्ग
6 Breman Jan (1996). Footloose Labour: Working in India`s Informal sector, . Cambridge: Cambridge University Press. ----- (1985). Of Peasants,Migrants and Paupers: RuralLabour and Capitalist Production in India . Delhi: Oxfrod University Press.
7 Concell,J.,B.Dasgupta, R Laishley, and M Lipton,(1976) " Migration from Rural Areas:
8 TheEvidenace from Village Studies, Oxford University Press, New Delhi.
9 Dandekar,V.M. and N.Rath (1971). Poverty in India . Indian School of Political Economy, Poona .
10 Deshingakar Priya and Farringaton Jhon (ed) (2009) " Circual Migration and
11 Multilocational Livelihhod Strategies in Rural India", Oxford University Press, New Delhi.
12 Krishnaiah, M. (1997), Rural Migrant Labour Systems in semi-arid areas, A study of two Villages in Andhra Pradesh,

13 Lewis, A. (1954). Economic Development with Unlilited Supply of Labour. Manchester School of Economis and Social Science , Pp-179-192.

14 Majumder, B. (2006). Influx of Forced Labour: Nature and Causes. Indian Journal of Labour Economics,Vol.49 (1) , Pp.133-141.

15 Adhikari and Bhatiya, MNREGA wage payments can we bank on bank's economic and political weekly January, 2020.

16 Role of Panchayati Raj Institution in Implementation of NREGA

17 Sudarshan R.M. India's National Rural Employment Guranetee Act: Women's Participation and Impacts in Himanchal Pradesh, Kerala and RajasthanN Institute of Development Studies – 2011

18 Vidya C.S. and R. Singh. Impact of NREGA on Wage Rate, Food security and Rural Urban Migration in Himanchal, Shimla, Agroeconomic Research Center. Report Submitted to the Ministry of Agriculture, 2011.